

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 578/2015
संस्थित दिनांक-15.06.2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.**अभियोजन**

वि रू द्ध

दिलु पिता खुमसिंह भीलाला, आयु-38 वर्ष,
निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव तहसील ठीकरी,
जिला बड़वानी**अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	- श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 31/03/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 276/15 के आधार पर दिनांक 17.09.15 को रात्रि 8:00 फरियादी भुरु के निवास स्थान में उसे तथा सुमनबाई को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार करने के लिये भा.द.वि. की धारा-452 का आरोप है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन साक्षी आरोपी को जानते हैं तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण के आहत साक्षियों ने आरोपी से राजीनामा किया है, इस कारण उसे भा.द.वि. की धारा-294, 323, 506(बी) के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया गया है तथा शेष आरोपी जयराम एवं सकरीया को भी उक्त अपराधों से राजीनामा के आधार पर दिनांक 15.02.16 को दोषमुक्त घोषित किया गया है ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.09.15 को रात्रि लगभग 8:00 बजे भुरु अपने घर के बाहर बैठा था, तभी वहां आरोपी आया और पुरानी रंजिश के कारण उसके घर में घुस गया और उसकी माँ सुमनबाई को दो-तीन थप्पड़ मार दिये, उसकी माँ चिल्लाने लगी थी तो उसके भाई संजय और राहुल घर से बाहर गये, तो आरोपी घर से बाहर निकलकर आया और आरोपी के रिश्तेदार जयराम और सकरीया मौके पर लकड़ियां लेकर आ गये और उन्होंने उसको तथा उसकी माँ को माँ, बहन की अश्लील गंदी गालियां दीं । जयराम ने उसके सिर पर लकड़ी मारी और सकरीया ने उसके भाईयों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी । भीलु की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 276/15 दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्त पर भा.द.सं. की धारा-452 का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.09.15 को रात्रि 08:00 बजे फरियादी भुरु के निवास स्थान में उसे तथा सुमनबाई को उपहति कारित करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया गया ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षीगण भुरु (अ.सा.1), एवं साक्षी सुमनबाई (अ.सा.2) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी भुरु (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है, उसका 2 माह पूर्व रात्रि 8:00 बजे पुरानी रंजिश की बात को लेकर अभियुक्त ने उसके घर के सामने आकर गाली-गालौज की थी तथा उसे सिर पर लकड़ी मार दी थी । उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर लेखबद्ध करायी थी, जिस पर उसने अंगूठा लगाया था । साक्षी ने प्र.पी.1 की रिपोर्ट पढ़कर सुनाने पर सुमनबाई को 2-3 झापट मारने के संबंध में स्पष्ट इन्कार किया गया है । साक्षी का कथन है कि पुलिस ने उसका मेडिकल-परीक्षण कराया था । साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक-प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी दिलु उसके घर के अंदर घुस गया था और उसकी माँ के साथ मारपीट की थी । साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.1 की रिपोर्ट लिखाने से स्पष्ट इन्कार किया गया है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त से उसका राजीनामा हो गया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है ।

8. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके घर के अंदर घुसकर उसकी माँ के साथ मारपीट नहीं की थी ।

9. साक्षी सुमनबाई (अ.सा.2) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है । लगभग 3 माह पूर्व उनका और अभियुक्त का किसी बात को लेकर घर के सामने विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाना ठीकरी पर की थी । अभियोजन

की ओर से साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक-प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी ने उसके घर के अंदर घुसकर उसके साथ थप्पड़ से मारपीट की गयी थी । साक्षी ने प्र.पी.4 में पुलिस को अभियुक्त ने घर के अंदर घुसकर उसके साथ थप्पड़ से मारपीट की थी, की बात बताने से इन्कार किया है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनमा होने के कारण वह असत्य कथन कर रही है ।

10. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के आहत साक्षी सुमनबाई एवं भुरु ने अभियुक्त द्वारा घर के अंदर घुसकर मारपीट करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर सुमनबाई एवं भुरु को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ उनके निवास स्थान में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया गया था । ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-452 का आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

11. इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त दिलु पिता खुमसिंह भीलाला आयु-38 वर्ष निवासी ग्राम ब्राह्मगांव को भा.द.वि. की धारा-452 के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

12. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

13. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

14. प्रकरण में जप्त संपत्ति लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.